

# फर्द अहकाम

जमवारामगढ़ बनाम भाऊराव गंधे  
 जमवारामगढ़ (अधिकारी) जमवारामगढ़  
 22/12/24

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
15/10/24	<p>जमानदारी पत्रा दुई। वकील उपर पत्र                      उपर जमानदारी दुई दिनांक                      22/10/24 को पत्र हो</p> <p><i>(Signature)</i>                      उपखण्ड अधिकारी                      जमवारामगढ़</p>	
21/10/24	<p>जमानदारी पत्रा दुई। वकील उपर पत्र                      उपर वकील उपर पत्र की वारा                      हुनी गरी। जमानदारी को अर्पण                      क्रियत गरी। जमानदारी वापस मादेश                      हेतु दिनांक 05/11/24 को पत्र हो।</p> <p><i>(Signature)</i>                      उपखण्ड अधिकारी                      जमवारामगढ़</p>	
05/11/24	<p>जमानदारी पत्रा दुई। वकील उपर                      पत्र उपर जमानदारी मादेश                      क्रियावाचीन हो। नए के मापक                      के मादेश गरी हुनाको जो पत्र।                      जमानदारी अर्पण मादेश हेतु                      दिनांक 07/11/24 को पत्र हो।</p> <p><i>(Signature)</i>                      उपखण्ड अधिकारी                      जमवारामगढ़</p>	
07/11/24	<p>जमानदारी पत्रा दुई। वकील उपर                      पत्र उपर जमानदारी मादेश                      के क्रियावाचीन हो जमानदारी</p>	

ज  
-  
क  
ह  
म  
न  
र  
ग  
घ  
ङ  
च  
छ  
ज  
झ  
ञ  
ट  
ठ  
ड  
ढ  
ण  
त  
थ  
द  
ध  
न  
प  
फ  
ब  
भ  
म

**फर्द अहकाम**

कल्याण न्यायालय बनाम (अपराध) जमवावापगढ

नाम न्यायालय  
केस संख्या

उपखण्ड अधिकारी जमवावापगढ  
82/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>द्वि उपलब्ध इनामेपात का अन्वेषण                      किया गया तथा वकील उपलब्ध                      की वृत्त का ज्ञान किया गया                      अतः जमवावापगढ दिनांक 18/07/24                      को जारी अन्वेषण आदेश निदेशित                      आदेश को मूल प्रार्थना पर                      अन्वेषण निताहत तक ताकतपूर्ण                      कम्पनी किया जाता है। निरीक्षण                      पर उपलब्ध इनाम तथा जमवावापगढ                      मौलिक श्रम लेकर न्यायिक कि कर्म                      के तहत वाद प्रति मूल का पत्र                      (न्याय) समाप्त है।</p>

  
 उपखण्ड अधिकारी  
 जमवावापगढ